FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0002 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 02/01/2026 12:12 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 28/09/2025 **Date To (दिनांक तक):** 29/09/2025
      Time Period (समय अवधि): पहर 4 **Time From (समय से):** 17:30 बजे **Time To (समय तक):** 10:49 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 02/01/2026 **Time (समय):** 11:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 02/01/2026 12:12:12 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 60 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** POLICE THANA GENDOLI, JILA BUNDI

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) **Name(नाम):** MUKESH KUMAR MEENA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** BADRILAL MEENA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1994 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KARWALA KI JHOPARIYA, GENDOLI, BUNDI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KARWALA KI JHOPARIYA, GENDOLI, BUNDI, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	AASHIQ HUSAIN		पिता:MOHAMMAD NOOR	1. POLICE THANA GENDOLI,GENDOLI,BUNDI,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		20,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 20,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय,उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 28.09.25 को समय 5.30 पी.एम पर श्री विजय स्वर्णकार, अति. पुलिस अधीक्षक एसीबी कोटा के पास परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा निवासी करवाला की झोपडियां का कॉल आया तथा बताया कि " मेरे पिताजी बद्रीलाल जी ने मेरे चाचाजी जालिम कुमार से सन् 2017 में 2.50 लाख रूपये उधार लिये थे, जिनको मेरे पिताजी द्वारा 6-7 साल पहले ही चुका दिया था, ये पैसे जब मेरे चाचा जी ने मेरे पिताजी को उधार दिये उस समय एक खाली स्टाम्प पर मेरे पिताजी से हस्ताक्षर करवा लिये तथा स्टाम्प पर बाद मे 7 लाख रूपये लिख दिये। जिसके कारण सन् 2022 से 2024 तक मेरे चाचा जालिम कुमार उधार पैसो को चुकाने की एवज में हमारी 12 बीघा जमीन पर खेती करली, हमारे द्वारा जमीन हांकने की कहने पर मेरे चाचा द्वारा मेरे पिताजी व हम परिवार वालो के खिलाफ मारपीट एवं धोखाधडी का थाना गैण्डोली में मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिसमे हम परिवार के सात सदस्यो का नाम है। जिसकी जांच आशिक हुसैन एएसआई थाना गैण्डोली के पास है आशिक हुसैन एएसआई ने मुझे कल थाने पर बुलाया ओर मेरे से परिवार के व मेरा नाम निकालने के लिए तथा मेरे पिताजी को अकेले को मुल्जिम बनाने तथा मुकदमे में मदद करने के बदले में 20,000 हजार रू. मांगे तथा कहा कि 20,000 रू. कल ही लेकर आना तथा तेरे पिताजी को भी साथ लेकर आना जिससें उनसें पूछताछ कर लूंगा, मेरे चाचाजी जालिमकुमार हमसे पुलिस का दबाव डालकर जबरदस्ती हमारी जमीन लेना चाहता हैं जबकि उनसे लिये गये रू. मेरे पिताजी द्वारा दे दिये गये हैं। आशिक हुसैन स.उ.नि. झूंठे मुकदमें में फंसाने का भय दिखाकर मुझसें रिश्वत लेना चाहता है, मैं आशिक हुसैन एएसआई को रिश्वत राशि नही देना चाहता हु उसें रिश्वत देते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं, इस पर परिवादी को समझाईश की गई तथा उससे पूछा तो उसने बताया कि मै आपको कंचनधाम, गेण्डोली में मिल जाऊंगा, इस पर परिवादी को समझाईश की गई कि कल तुम्हारे पास हमारे कार्यालय से अभिषेक कानि. एवं श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. आयेगें जिनको तुम अपनी शिकायत दे देना तथा वो कार्यालय से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर तुम्हारे पास आयेंगे, जिसमें तुम रिश्वत मांग का सत्यापन करवा लेना, वो तुमसें मिलकर तुमको समस्त कार्यवाही से अवगत करा देंगे, जिस पर परिवादी सहमत हुआ। परिवादी के कॉल के क्रम में श्री अभिषेक कानि. एवं श्री नरेद्र सिंह है.कानि. को दिनांक 29.09.2025 को प्रातः 5.45 ए.एम. पर कार्यालय उपस्थित आने के निर्देश दिये। दिनांक 29.09.25 समय 6.00 ए.एम पर श्री विजय स्वर्णकार, अति. पुलिस अधीक्षक कार्यालय हाजा उपस्थित आये जंहा पर श्री अभिषेक कानि. एवं श्री नरेन्द्र िंसह है.कानि. उपस्थित मिले, जिनको परिवादी मुकेश कुमार मीणा से हुई वार्ता के क्रम में अवगत कराया, तत्पश्चात कार्यालय के मालखाने सें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के निकलवाकर श्री अभिषेक कानि. को सुपुर्द किया, जिसकी फर्द सुपुर्दगी पृथक सें बनाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। श्री अभिषेक कानि. एवं श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. को हिदायत की गई कि परिवादी से उसकी शिकायत के क्रम में प्रार्थना पत्र प्राप्त करें तत्पश्चात उसे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर रिश्वत मांग का सत्यापन करवाये। श्री अभिषेक कानि. एंव श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. को मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के प्राईवेट वाहन सें कंचन धाम थाना गेण्डोली के लिए रवाना किया गया। समय 4.00 पी.एम पर श्री अभिषेक कानि. एवं श्री नरेन्द्र िंसह है.कानि. मय परिवादी एवं परिवादी से हस्तलिखित प्रार्थना पत्र, डी.वी.आर. मय मेमोरी कार्ड के उपस्थित आये तथा श्री विजय स्वर्णकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी कोटा को परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पेश कर परिवादी श्री मुकेश कुमार सें परिचय करवाया तथा बताया कि हम दोनों कार्यालय से रवाना होकर कंचनधाम गेण्डोली पहुंचे थे जंहा पर परिवादी मुकेश कुमार मीणा एवं उसका भाई मनोज कुमार मौजूद मिले थे, जिनसे परिवादी के हस्तलिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त किया तत्पश्चात डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में मेमेरी कार्ड लगाकर परिवादी को सुपुर्द कर उसको चलाने व बन्द करने तथा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया से अवगत कराया था, इसके बाद डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु करवाकर परिवादी को उसके भाई के साथ मोटरसाईकिल पर बैठाकर थाना गेण्डोली के लिए रवाना किया तथा मैं व नरेन्द्र िंसह जी है.कानि. भी परिवादी के पीछे-पीछे थाना गेण्डोली की तरफ गये थे तथा थाना गेण्डोली से कुछ दूर ही अपनी उपस्थिती छुपाते हुये खडे हो गये थे, परिवादी करीबन 50 मिनट बाद मुझे कॉल करके हमारी गाडी के पीछे-पीछे वापस कचंनधाम आया तथा परिवादी ने बताया कि आशिक हुसैन जी एएसआई साहब ने मुझसें मेरे पिताजी व हमारे विरूद्ध दर्ज मुकदमें के संबंध में मेरे पिताजी का पूछताछ नोट बनाकर मुझे मेरे पिताजी के हस्ताक्षर करवाने के लिए दिया हैं तथा फिर मुझसें एक दिन पहले मांगे बीस हजार रू. के लिए पूछा कि जो मैने कही थी ना कल कहा वो लाया क्या

जिस पर मैने उनको कहा कि- आपने कही थी ना शाम को मिल जाएगे, क्योकि आज सोमवार कल संडे था जो नहीं ले पाया मैं कोई नहीं, तब आशिक हुसैन जी ने कहा कि तू शाम-शाम ऐसे ही करता हैं, तब मैने कहा कि छोटा भाई मान के चलो शाम को ले आऊंगा तब आशिक हुसैन एएसआई ने कहा कि अब क्या लाया हैं तब मैने कहा कि अभी तो दो हजार ले लो आप, और बचेगें वो मैं शाम तक ले आऊंगा, जिस पर उन्होने कहा कि ठीक हैं तेरे पिताजी के साईन भी कराकर ले आना, इसके बाद मैने दो हजार रू. उनको निकालकर दे दिये थे। ये समस्त बातें इस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गई हैं, परिवादी के बताने के पश्चात हमने रिकॉर्डर चलाकर सुना तो परिवादी द्वारा बताये गये कथनों की ताईद हुई, तत्पश्चात परिवादी ने कहा कि आशिक हुसैन जी ने पैसे आज ही मांगे हैं इसलिए मै रिश्वत की राशि 20,000 रू. अपने साथ ही ले आया था, जिसमें सें 2000 रू. मैने अभी आशिक हुसैन जी को दे दिये तथा शेष मैने पूर्व सें ही मेरे भाई के पास रख दिये थे। परिवादी के पास रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 18,000 रू. रखे हैं तथा आरोपी ने रिश्वत राशि आज ही मांगी हैं, अतः परिवादी को उसके भाई सें 18,000 रू. दिलाकर हमराह लेकर कार्यालय हाजा के लिए रवाना होकर आये हैं।श्री विजय स्वर्णकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया जो इस आशय का हैं - "मैं ग्राम करवाला की झोपडिया थाना गैण्डोली जिला बूंदी का रहने वाला हु, मैरे पिताजी बद्रीलाल जी ने मेरे चाचाजी जालिम कुमार से सन् 2017 में 2.50 लाख रूपये उधार लिये थे, जिनको मेरे पिताजी द्वारा सन् 2019 में चुका दिया था। मेरे पिताजी को उधार पैसे देने पर मेरे चाचा जालिम कुमार ने एक खाली स्टाम्प पर मेरे पिताजी से हस्ताक्षर करवा लिये तथा स्टाम्प पर बाद मे 7 लाख रूपये लिख दिये। जिसके कारण सन् 2022 से 2024 तक मेरे चाचा जालिम कुमार उधार पैसो को चुकाने की एवज में हमारी 12 बीघा जमीन भी जुपाई थी, फिर भी मेरे चाचा द्वारा मेरे पिताजी व हम परिवार वालो के खिलाफ मारपीट एवं धोखाधडी का मुकदमा थाना गैण्डोली में दर्ज करवा दिया, जिसमे हम परिवार के सात सदस्यो का नाम है। जिसकी जांच आशिक हुसैन एएसआई थाना गैण्डोली के पास है आशिक हुसैन एएसआई ने मुझे कल थाने पर बुलाया ओर मेरे से परिवार के व मेरा नाम निकालने के लिए तथा मेरे पिताजी को अकेले को मुल्जिम बनाने तथा मुकदमे में मदद करने के बदले में 20,000 हजार रू. मांगे तथा कहा कि 20,000 रू. कल ही लेकर आना तथा तेरे पिताजी को भी साथ लेकर आना जिससें उनसें पूछताछ कर लूंगा, मेरे चाचाजी जालिमकुमार हमसे पुलिस का दबाव डालकर जबरदस्ती हमारी जमीन लेना चाहता हैं जबकि उनसे लिये गये रू. मेरे पिताजी द्वारा दे दिये गये हैं। झूंठे मुकदमें में फंसाने का भय दिखाकर आशिक हुसैन स.उ.नि. मुझसें रिश्वत लेना चाहता है, मैं आशिक हुसैन एएसआई को रिश्वत राशि नही देना चाहता हु उसें रिश्वत देते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हु, मेरा आशिक हुसैन एएसआई से कोई उधारी या लेन देन नही है ना ही कोई लडाई झगडा है। रिपोर्ट पर कार्यवाही करवाने की कृपा करे" तत्पश्चात रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो परिवादी द्वारा अभिषेक कानि. को कहे गये कथनों की ताईद हुई है, प्रकरण में आरोपी द्वारा आज ही रिश्वत राशि की मांग की गई हैं, अतः परिवादी के प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। समय 5.30 पी.एम पर परिवादी द्वारा बताये गये हालात अनुसार अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के आयोजन हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से कार्यालय के पत्रांक 1734 दिनांक 29.09.2025 से श्रीमान जिला कलेक्टर, कोटा के नाम एक तहरीर जारी कर श्री रवि कुमार कानि0 285 को स्वतंत्र गवाह लाने हेतु रवाना किया गया। समय 06.00 पी.एम. पर परिवादी श्री मुकेश कुमार ने श्री विजय स्वर्णकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि सांयकाल का समय हो चुका हैं तथा अभी अपन यंहा सें रवाना होंगे तो थाना गेण्डोली पर पहुंचने में 7-8 बज जायेगी, गेण्डोली थाना, कस्बे से बाहर मेन रोड पर सडक से ऊपर पहाडी व पेडो के बिच में स्थित हैं, रात्री में कार्यवाही किया जाना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए कार्यवाही कल प्रातः करें तो ठीक रहेगा, परिवादी के कहेनुसार रात्री का समय हो जाने तथा रात्रि में कार्यवाही किया जाना ठीक नहीं होने से प्रातः 8.00 ए.एम. पर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया गया, परिवादी की कार्यवाही के संबंध में मन् अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल श्री विजय स्वर्णकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा अवगत कराया गया। समय 06.30 पी.एम. पर श्री रवि कुमार कानि0 285 मय स्वतंत्र गवाहन श्री योगेन्द्र सैन पुत्र श्री हजारी लाल सैन जाति नाई उम्र 38 साल निवासी- जगदीश होटल की गली, गोयल भवन के सामने लाडपुरा कोटा हाल वरिष्ठ सहायक, विधि अनुभाग, कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट कोटा, मोबाईल नम्बर- व श्री जयप्रकाश मीणा पुत्र श्री शंकरलाल मीणा जाति मीणा उम्र 28 साल निवासी 1जी14, नूरी जामा मस्जिद के पीछे वाली गली, विज्ञान नगर, कोटा हाल वरिष्ठ सहायक,कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट कोटा मोबाईल नम्बर- के कार्यालय हाजा आये, दोनो स्वतंत्र गवाहान से परिचय प्राप्त कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा से आपसी परिचय करवाया तथा कार्यालय में तसल्लीपूर्वक बिठाया एवं परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को पढकर सुनाया तथा आरोपी आशिक हुसैन स.उ. नि. द्वारा की गई रिश्वत मांग के सत्यापन की कार्यवाही की जानकारी दी तथा ट्रेप कार्यवाही में गवाह बनने की सहमती चाही तो दोनों गवाहान ने परिवादी के प्रार्थना पत्र को पढकर स्वेच्छा से ट्रेप कार्यवाही में गवाह बनने की सहमती दी तथा परिवादी के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर किये तत्पशचात अग्रिम कार्यवाही मन् अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस द्वारा किये जाने तथा कार्यवाही हेतु दिनांक 30.09.2025 को दोनों गवाहान को प्रातः 6.00 ए.एम. पर कार्यालय हाजा मे उपस्थित आने तथा परिवादी को जरिये मोबाईल सम्पर्क कर गेण्डोली में ही मिलने हेतु रवाना किया गया। समय 06.00 ए.एम. पर पूर्व में तलविदाशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री योगेन्द्र सैन, वरिष्ठ सहायक, विधि अनुभाग, कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट कोटा व श्री

जयप्रकाश मीणा, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट कोटा कार्यालय हाजा उपस्थित आये। समय 06.10 ए.एम. पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा द्वारा दिनांक 29.09.2025 को पेश शिकायती प्रार्थना पत्र, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का डिजिटल वॉयस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड, रनिंग नोट एवं अन्य दस्तावेज मन् अनिष अहमद, उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर कार्यालय हाजा पर उपस्थित स्वतंत्र गवाहान श्री योगेन्द्र सैन, वरिष्ठ सहायक, विधि अनुभाग, कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट कोटा व श्री जयप्रकाश मीणा, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट कोटा से परिचय करवाया गया, जिस पर मन् अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस द्वारा गवाहान से परिचय प्राप्त कर कार्यवाही में सम्मिलित होने हेतु मौखिक सहमति प्राप्त की गई तथा परिवादी के प्रार्थना पत्र डिजिटल वॉयस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड में परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा व आरोपी आशिक हुसैन सउनि के मध्य दिनांक 29.09.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य अंश को सुना गया तो रिश्वत मांग की पुष्टि हुई। समय 07.00 ए.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री अब्दुल सत्तार कानि0 158 से मालखाने से फिनोल्फ्थिलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर प्राईवेट वाहन के डेश बोर्ड मे रखवाई गई। इसके बाद श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक को मय श्री योगेश गोचर कानि0 291, तथा श्री रवि कुमार कानि0 285, श्री अब्दुल सत्तार कानि0 158 मय सरकारी जीप चालक श्री महेन्द्र सिंह कानि 507 को गैण्डोली रवाना किया तथा मन पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतत्र गवाह् श्री योगेन्द्र सैन व श्री जयप्रकाश मीणा मय जाप्ता श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि0 140, श्री अभिषेक चौधरी कानि0 197, श्री गोरव नागर कनिष्ठ सहायक मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य ट्रेप सामग्री मय डिजिटल वाईस रिकार्डर मय रिश्वत मांग सत्यापन के मैमोरी कार्ड एवं नये खाली मैमोरी कार्डो के प्राइवेट वाहन से गैण्डोली जिला बूंदी के लिए रवाना हुये। समय 09.00 ए.एम. पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री योगेन्द्र सैन व श्री जयप्रकाश मीणा मय जाप्ता श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक, श्री योगेश गोचर कानि0 291, श्री रवि कुमार कानि0 285, श्री अब्दुल सत्तार कानि0 158 मय श्री महेन्द्र सिंह कानि चालक 507, श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि0 140, श्री अभिषेक चौधरी कानि0 197, श्री गोरव नागर कनिष्ठ सहायक मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य ट्रेप सामग्री मय डिजिटल वाईस रिकार्डर मय रिश्वत मांग सत्यापन के मैमोरी कार्ड एवं नये खाली मैमोरी कार्डो के सरकारी वाहन जीप व प्राईवेट वाहन से परिवादी के बताये अनुसार गैण्डोली कस्बे से बाहर चांचोलिया बालाजी मन्दिर पर पहुंचे जहां पर पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा व उसका भाई मनोज कुमार मय मोटर साईकिल के उपस्थित मिले। उपस्थित परिवादी व उसके भाई से मन् उप अधीक्षक ने आपसी परिचय कर जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान से भी आपसी परिचय करवाया जाकर परिवादी से उसके द्वारा प्रार्थनापत्र में लिखित तथ्यो व रिश्वत मांग के संबध में रिकोर्डेड वार्ताओ के संबंध में पूछताछ कर पुष्टि की। समय 09.15 ए.एम. पर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा पुत्र श्री बद्रीलाल मीणा जाति मीणा उम्र 32 साल निवासी ग्राम करवाला की झोपडिया थाना गेण्डोली जिला बूंदी ने आरोपी श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक को रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 36 नोट कुल 18,000/- रूपये अपने पास से निकालकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये, जिनके नम्बर फर्द में अंकित कर श्री अब्दुल सत्तार कानि. नं. 158 से प्राईवेट वाहन के डेसबोर्ड से फिनोंफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटों को एक अखबार के ऊपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोफथलीन पावडर लगवाया गया। परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा की तलाशी स्वतंत्र गवाह् श्री जयप्रकाश मीना से लिवाई गई। परिवादी के पास उसके पहने हुए वस्त्रों एवं मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। आरोपी को रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये उक्त भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 36 नोट कुल 18,000 रूपये को परिवादी के पहनी हुई पेंट के सामने की दायी जेब मे श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 से सीधे ही रखवाये गये।इसके बाद एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में गाडी में रखी पीने के पानी की बोतल से साफ पानी लिया जाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेंट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया, जिसे गवाहान् एवं परिवादी को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग रंगहीन होना बताया। उक्त रंगहीन घोल में श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 के हाथ की अंगुलियों को डालकर धुलवाया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया को गवाहान् एवं परिवादी को दृष्टांत देकर समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोंटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेंट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। डिस्पोजल गिलास के घोल को बाहर फिंकवाया गया। जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जानेवाली राशि/नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था एवं दृष्टांत में काम मे लिये गये डिस्पोजल गिलास को श्री अब्दुल सत्तार कानि 158 से जलवाया जाकर नष्ट करवाया गया। श्री अब्दुल सत्तार कानि 158 के हाथां एवं ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाली शीशियां को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त नोटो ंको रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुयें एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि निकालकर देवें। आरोपी से रिश्वत राशि व स्वयं के कार्य के संबंध मे स्पष्ट वार्ता करे तथा रिश्वत देने के बाद थाना गेण्डोली से बाहर आकर फोन करके ईशारा करे। दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी समझाया की रिश्वत के लेनदेन को यथासंभव निकट रहकर देखने व सुनने का प्रयास करें। परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा को डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के दिया जाकर चालू व बंद करने का तरीका पुनः समझाया जाकर हिदायत दी कि वक्त रिश्वत लेनदेन उसके एवं आरोपी के मध्य होने वाली वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करे। श्री अब्दुल सत्तार कानि 158 को मय

फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशी के कार्यालय हाजा के लिए रूखसत किया गया। फर्द पेशकशी नियमानुसार मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितों ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 10.04 ए.एम. पर परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा को मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय नये मेमौरी कार्ड के रिकार्डर को चालु करवाकर उसके भाई मनोज मीणा के साथ मोटर साईकिल से थाना गेण्डोली के लिए रवाना किया गया। मन पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के अपने अपने वाहनों की उपस्थिती छुपाते हुए पीछे-पीछे रवाना होकर गेण्डोली थाने के आस-पास परिवादी के इशारे के इन्तजार में मुकिम हुये। समय 10.25 ए.एम. पर मन् उप अधीक्षक मय जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय वाहन के पृथक पृथक वाहन से परिवादी के पीछे पीछे पुलिस थाना गेण्डोली के पास से रवाना हो चाचोलिय बालाजी पहुचा जहा परिवादी उपस्थित मिला जिसने बताया कि मै थाने पर गया तो थाने पर एक कानिस्टेबल मिला जिससे आशिक हुसैन एएस आई के बारे मे ंपुछा तो उसने बताया कि आशिक हुसैन एएसआई अभी थाने पर नही है वो तो जांच में कही बाहर गये हुए है, फोन करके क्यो नही आये शाम को आना। तब मैने कहा कि उनका फोन बन्द आ रहा है वो आ जाये तो उनको बता देना। जिसकी सूचना मैने थाने से बाहर आकर श्री अभिषेक जी को फोन पर दी थी जब में वापस आ रहा था तो रास्ते मे कस्बा गेण्डोली में आशिक हुसैन एएसआई मुझे मिले थे जिनसे मैने पूछा आपका फोन कैसे नही लग रहा है तो उन्होने कहा कि ,कही काम से गया था यार, इस पर मैने उनसे कहा कि अभी मै ढोक दे आता हु आप वही (थाने) पर चल रहे हो ना इसपर उन्होने कहा हां। आप लोग मुझे आस पास दिखाई नही दिये इस लिए मैने उसको पैसे नही दिये। हमारे बीच होने वाली वार्ता वॉयस रिकोर्डर में रिकोर्ड हो गयी है। मंदिर पहुचकर मैने रिकेर्डर बन्द कर लिया था। एएसआई साहब थाने पर गये है, थोडी देर बाद वापस थाने पर जाउगां वो वहा से रिश्वत राशि ग्रहण कर सकते है। समय 10.35 ए.एम. पर परिवादी ने बताया कि आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक थाने पर पहुच गया होगा। वह वहां मुझसे रिश्वत राशि ग्रहण कर सकता है इस पर पुनः परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा को मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय नये मेमौरी कार्ड के रिकार्डर को चालु करवाकर उसके भाई मनोज मीणा के साथ मोटर साईकिल से थाना गेण्डोली के लिए रवाना किया गया। मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के अपने अपने वाहनों की उपस्थिती छुपाते हुए पीछे-पीछे रवाना होकर गेण्डोली थाने के आस-पास परिवादी के इशारे के इन्तजार में मुकिम हुये। समय 11.15 ए.एम. पर परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा मय उसके भाई मनोज मीणा के मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास आया परिवादी ने बताया कि मै पुलिस थाना गेण्डोली पहुंचा जहा पर आरोपी श्री आशिक हुसैन एएसआई उपस्थित नही मिला उसके आने का थाने मे रहकर इन्तजार किया करीब 20 मिनट तक इन्तजार करने के बाद एक कानिस्टेबल ने मुझे बताया कि थानेदार जी अभी अर्जेन्ट काम से एसपी ऑफिस बूंदी गये है। इन्तजार करने का कोई मतलब नही है, कल आ जाना इसपर मैने थानेदार जी को कई बार फोन लगाया फोन बन्द आ रहा है। वहा से बाहर आकर मैने सभी हालात श्री अभिषेक जी के फोन पर कॉल कर आप को बता दिये थे। इसके बाद मैं रिकोर्डर बन्द कर आपके पास आया हुं। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराह जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी के गैण्डोली से खटखड रोड पर स्थित कंचन धाम पहुचा। जहा परिवादी ने डिजिटल वॉयस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड बन्द अवस्था में पेश किया और बताया कि शायद आरोपी को मुझ पर शक हो गया है। वह मुझसे आज रिश्वत राशि ग्रहण नही करेंगा। आज ट्रेप की कार्यवाही की सम्भावना नही होने के कारण स्वतंत्र गवाह श्री जयप्रकाश मीणा से परिवादी की पेन्ट में रखी रिश्वत राशि को निकलवाकर एक पीले लिफाफे में रखवाया। लिफाफे को स्वतंत्र गवाह के पास सुरक्षित रखवाया गया। समय 12.10 पी.एम. पर परिवादी को गोपनीयता की मुनासिब हिदायद कर मौके से रूखसत किया गया तथा श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक को मय श्री योगेश गोचर कानि0 291, तथा श्री रवि कुमार कानि0 285 सरकारी जीप चालक श्री महेन्द्र सिंह कानि 507 को एसीबी चौकी कोटा रवाना कर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतत्र गवाह श्री योगेन्द्र सैन व श्री जयप्रकाश मीणा मय जाप्ता श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि0 140, श्री अभिषेक चौधरी कानि0 197, श्री गोरव नागर कनिष्ठ सहायक मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य ट्रेप सामग्री मय डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मय रिश्वत राशि 18000 रूपये का लिफाफा के प्राइवेट वाहन से गैण्डोली जिला बूंदी से एसीबी चौकी कोटा रवाना हुए। समय 03.00 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक मय हमराहीयान मय साथ लाये वाहनो के कार्यालय हाजा उपस्थित आया। स्वतंत्र गवाह श्री जयप्रकाश मीना से रिश्वत राशि का पीला लिफाफा मालखाना प्रभारी श्री आशिक हुसैन सउनि को सुपूर्द कर सुरक्षित मालखाने मे रखवाया गया। डिजिटल वॉयस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड व अन्य सामग्री कार्यालय में सुरक्षित रखवाये गये। आईन्दा परिवादी द्वारा सूचना देने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। दोनो स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता की हिदायद देकर कार्यालय से सकुशल रूखसत किया गया। दिनांक 15.10.2025 को समय 03.38 पी.एम. पर श्री अभिषेक कानि. ने परिवादी से वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि दिनांक 30.09.2025 के बाद से आज तक मेरे पास आशिक हुसैन एएसआई का न तो कॉल आया हैं तथा नाही उसने किसी के जरिये कोई मैसेज करवाया हैं, मेरे पास जैसे ही उसके संबंध में कोई सूचना होगी मैं आपको तुरंत बता दूंगा। दिनांक 26.10.2025 को समय 04.18 पी.एम. पर परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा ने श्री अभिषेक कानि. के मोबाइल पर कॉल करके बताया कि मैने थाने पर हमारे मुकदमे के संबंध में तलाश करवाया था लेकिन हमारे मुकदमें में अभी कुछ भी कार्यवाही नहीं होने बाबत बताया तथा आशिक हुसैन स.उ.नि. का भी न तो कॉल आया हैं तथा नाही उसने किसी के जरिये कोई मैसेज करवाया हैं। शायद उसको कार्यवाही की भनक लग गई, मुझे खेती बाडी के कार्य से टाईम मिलने पर मैं आपके

कार्यालय में उपस्थित हो जाऊंगा। दिनांक 10.11.2025 को समय 11.30 ए.एम. पर परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा उपस्थित कार्यालय आया तथा एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि " मैं ग्राम करवाला की झोपडिया थाना गैण्डोली जिला बूंदी का निवासी हूं थाना गैण्डोली मे मैरे व मेरे परिवार के खिलाफ चल रहे प्रकरण में नाम निकालने की एवंज में श्री आशिक हुसैन एएसआई द्वारा 20,000 रूपये की रिश्वत की मांग करने पर मैने आपके कार्यालय मे कार्यवाही हेतु दिनांक 28.09.2025 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसपर कार्यवाही करते हुए दिनांक 29.09.2025 को आपके कार्यालय से श्री अभिषेक कानिस्टेबल को रिकोर्डर और मैमोरी कार्ड देकर गैण्डोली भेजा था उस दिन मेरी आशिक हुसैन एएसआई थाना गैण्डोली से रिश्वत मांग के संबंध में बात हुई थी जो रिकोर्ड हो गई थी। दिनांक 30.09.2025 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर ट्रेप अधिकारी श्री अनिष अहमद जी, जाप्ता व गवाह को लेकर गैण्डोली गये थे। लेकिन उस दिन आरोपी को शक हो जाने के कारण आरोपी ने मेरे से रिश्वत राशि नही ली। आरोपी द्वारा इसके बाद से अबतक मेरे से रिश्वत लेने के संबंध में बात नही की है। ऐसा लगता है कि अब कार्यवाही होने की कोई संभावना नही है। अतः मेरे द्वारा अब तक करवाई गई कार्यवाही के आधार पर ही आरोपी के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही कर मेरे द्वारा दिनांक 30.09.2025 को पेश की 18000 रूपये रिश्वत राशि मुझे लौटाने की कृपा करें। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु पूर्व से पाबन्दशुदा गवाहान को जर्ये मोबाईल तलब किया गया। समय 12.30 पी.एम पर तलविदा स्वतंत्र गवाहान श्री योगेन्द्र सैन, वरिष्ठ सहायक, विधि अनुभाग, कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट कोटा व श्री जयप्रकाश मीणा, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट कोटा कार्यालय हाजा उपस्थित आये। समय 12.45 पी.एम पर परिवादी व दोनों गवाहान के समक्ष दिनांक 29.09.2025 को परिवादी एवं आरोपी आशिक हुसैन एएसआई के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, जिसे कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था, उक्त मैमोरी कार्ड को कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगाकर श्री अभिषेक कानि. 197 के द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को सरकारी लेपटोप से कनेक्ट कर स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार करवाई गई। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल फाईल किया गया। समय 03.30 पी.एम पर परिवादी व दोनों गवाहान के समक्ष दिनांक 30.09.2025 को परिवादी एवं आरोपी आशिक हुसैन एएसआई के मध्य हुई रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता, जिसे कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था, उक्त मैमोरी कार्ड को कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगाकर श्री अभिषेक कानि. 197 के द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को सरकारी लेपटोप से कनेक्ट कर स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार करवाई गई। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल फाईल किया गया। समय 04.00 पी.एम.पर दिनांक 29.09.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता 250929_1049 जो 68348 KB 250929_1214 जो 7 KB व दिनांक 30.09.2025 को हुई रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता 250930_1004 जो 24707 KB 250930_1036 जो 48549 KB जो कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में सेव थी को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष कार्यालय के सरकारी लेपटॉप मे सेव करवाकर कार्यालय के लेपटॉप से 04 पेन ड्राईव ¼Sandisk Cruzer Blade TM 32 GB½ में श्री अभिषेक कानि0 197 से सेव करवाई गयी। जिसकी फर्द प्रतिलिपिकरण पेन ड्राईव श्री अभिषेक कानि0 197 से तैयार करवाकर एक पेन ड्राईव वजह सबूत माननीय न्यायालय के लिये, एक पेन ड्राईव आवाज नमूना के लिए तथा एक पैन ड्राईव आरोपी के लिए कपडे की थैलीयों मे पृथक पृथक रखकर सील मोहर करके संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिए खुला रखा गया। जर्ये लेपटॉप मूल मेमोरी कार्ड की हैश वैल्य की गणना Hash checker App से SHA256 हैशवेल्यू निकाली गई। ट्रेप कार्यवाही में कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकोर्डर में उपयोग किये गये ¼SanDisk microSDHC card 32 GB½ मेमोरी कार्ड को डीवीआर में से निकालकर वजह सबूत माननीय न्यायालय के लिये एक कपडें की थैली में रखकर सील मोहर करके संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिये गये। कार्यवाही की फर्द प्रतिलिपिकरण पेनड्राईव एवं जप्ती मूल मेमोरी कार्ड तैयार कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 05.45 पीएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री योगेन्द्र सैन व श्री जयप्रकाश मीणा के समक्ष रिश्वत राशि 18000 रूपये मालखाने से निकलवाकर नोटों पर लगे फिनॉफ्थलीन पावडर को अच्छी तरह साफ करवाकर परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा को सुपुर्द की गई। फर्द सुपुर्दगी मुर्तिव की जाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 06.00 पीएम पर परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा को मय रिश्वत राशि 18,000 रूपये के तथा स्वतन्त्र गवाहान श्री योगेन्द्र सैन व श्री जयप्रकाश मीणा को आवश्यक हिदायत देकर उनके गन्तव्य पर सकुशल रूखसत किया गया। बाद सम्पूर्ण कार्यवाही जप्तशुदा आर्टिकल्स तीन शिल्डशुदा पेनड्राइव के पैकेट एवं दो शिल्डशुदा मैमोरी कार्ड पैकेट को मालखाना प्रभारी श्री आशिक हुसैन सउनि को सुपूर्द कर जमा मालखाना करवाया गया।अब तक के हालात में पाया गया कि दिनांक 28.09.25 को अति. पुलिस अधीक्षक के पास परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा निवासी करवाला की झोपडियां का कॉल आया तथा बताया कि " मेरे पिताजी बद्रीलाल जी ने मेरे चाचाजी जालिम कुमार से सन् 2017 में 2.50 लाख रूपये उधार लिये थे, जिनको मेरे पिताजी द्वारा 6-7 साल पहले ही चुका दिया था, ये पैसे जब मेरे चाचा जी ने मेरे पिताजी को उधार दिये उस समय एक

[redacted]

खाली स्टाम्प पर मेरे पिताजी से हस्ताक्षर करवा लिये तथा स्टाम्प पर बाद मे 7 लाख रूपये लिख दिये। जिसके कारण सन् 2022 से 2024 तक मेरे चाचा जालिम कुमार उधार पैसो को चुकाने की एवज में हमारी 12 बीघा जमीन पर खेती करली, हमारे द्वारा जमीन हांकने की कहने पर मेरे चाचा द्वारा मेरे पिताजी व हम परिवार वालो के खिलाफ मारपीट एवं धोखाधडी का थाना गैण्डोली में मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिसमे हम परिवार के सात सदस्यो का नाम है। जिसकी जांच आशिक हुसैन एएसआई थाना गैण्डोली के पास है आशिक हुसैन एएसआई ने मुझे कल थाने पर बुलाया ओर मेरे से परिवार के व मेरा नाम निकालने के लिए तथा मेरे पिताजी को अकेले को मुल्जिम बनाने तथा मुकदमे में मदद करने के बदले में 20,000 हजार रू. मांगे तथा कहा कि 20,000 रू. कल ही लेकर आना तथा तेरे पिताजी को भी साथ लेकर आना जिससें उनसें पूछताछ कर लूंगा, मेरे चाचाजी जालिमकुमार हमसे पुलिस का दबाव डालकर जबरदस्ती हमारी जमीन लेना चाहता हैं जबकि उनसे लिये गये रू. मेरे पिताजी द्वारा दे दिये गये हैं। आशिक हुसैन स.उ.नि.झूंठे मुकदमें में फंसाने का भय दिखाकर मुझसें रिश्वत लेना चाहता है, मैं आशिक हुसैन एएसआई को रिश्वत राशि नही देना चाहता हु, उसे रिश्वत देते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं, इस पर परिवादी के कॉल के क्रम में श्री अभिषेक कानि. एवं श्री नरेद्र सिंह है.कानि. को दिनांक 29.09.2025 को मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के प्राईवेट वाहन सें कंचन धाम थाना गेण्डोली के लिए रवाना किया, जिन्होने मय परिवादी मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मय परिवादी के प्रार्थना पत्र के वापस आकर बताया कि हम यंहा से रवाना होकर कंचनधाम गेण्डोली पहुंचे थे, जंहा परिवादी व परिवादी का भाई मनोज उपस्थित मिला, परिवादी से हस्तलिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त किया और सत्यापन करवाया गया। रिश्वत मांग सत्यापन में आरोपी आशिक हुसैन एएसआई थाना गैण्डोली ने परिवादी के पिताजी व खुद के विरूद्ध दर्ज मुकदमें से नाम हटाने के लिए परिवादी से आरोपी द्वारा एक दिन पहले मांगे बीस हजार रू. के लिए पूछा कि जो मैने कही थी वो लाया क्या जिस पर परिवादी ने शाम तक लाकर देने के लिए कहा तथा आरोपी द्वारा अभी क्या लाया पुछा तो परिवादी ने कहा अभी तो दो हजार ले लो आप, और बचेगें वो मैं शाम तक ले आऊंगा, जिस पर आरोपी ने कहा कि ठीक हैं तेरे पिताजी के साईन भी कराकर ले आना, इसके बाद परिवादी ने आरोपी को दो हजार रू. निकालकर दे दिये थे। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग करना पाया गया। वार्ता के अंश निम्नानुसार है-आरोपी म्हारी बात सुण तू। वो जो मन की छी न मेरी बात सुन तू। वो जो मैने कही थी ना।परिवादी थाने की छी न शाम की मिल जावगा, क्योकि आज सोमवार काल संडे छो न ले पायो मु कोई न आपने कही थी ना शाम को मिल जाएगे, क्योकि आज सोमवार कल संडे था जो नहीं ले पाया मैं कोई नहींआरोपी तु शाम शाम कोई न तु शाम शाम कोई नहीं।परिवादी छोटो भाई मान चालो,शाम को छोटा भाई मान के चलो, शाम कोआरोपी अबानु काई लायो अभी क्या लाया है।परिवादी अबानु तो दो हजार रूपया ले लो था, और बचगा न,झुठ न अभी तो दो हजार ले लो आप, और बचेंगे ना, झूठ नहीं।आरोपी एसया भी मू थाने बचारयो छुः ऐसे भी मैं तुम्हे बचा रहा हूँ।परिवादी भगवान का जी भाई झुठ न बोल रयो, पन्द्रह हजार रूपया भगवान की कसम झूठ नहीं बोल रहा, पन्द्रह हजार रूपया। आरोपी मु सुन तु चुप रह, हकिकत बात तो या छः मु थाने बचाबा की कर रयो छुः, मु थाने और बताद्यु वकील खा जावगो, पुलिस आपणे मु जवानी तो थाने काई गलती न करी काई भी मगर लिखा पढी प सब का साईन छः,गवाह छः मेरी बात सुन तु चुपचाप रह, हकिकत बात तो यह है मैं तुम्हे बचाने की कर रहा हूँ। मैं तुम्हे और बता तु वकील खा जाएगा, पुलिस अपनी मुँह जुबानी तो तुमने कोई गलती नहीं करी, लेकिन लिखा पढ़ी पर सबके साईन है।परिवादी मु हेलमेट लायो छोः,जा र थाई दे जाउगु मैं हेलमेट लाया था, जो आपको दे आऊंगा।आरोपी हु हंपरिवादी हेलमेट लेरा ही लायो छोः, कोटा जा, पाछो आताई थाई देर जाउगु, अतरो सो विश्वास छोटो भाई छु थाको हेलमेट साथ में ही लाया था, कोटा जाकर, दुबारा आते ही आपको देकर जाऊंगा। इतना सा विश्वास, छोटा भाई हूँ आपका।आरोपी पर फेर थारा पिताजी के बारे में भी आपा सोचगा, दो दन बाद म सू मिल जो, ठीक छः न पर फिर आपके पिताजी के बारे में भी अपन सोचेंगे, दो दिन बाद मुझसे मिलना, ठीक है नापरिवादी हा हाँपरिवादी द्वारा हस्तलिखित प्राप्त प्रार्थना पत्र का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो कोटा द्वारा अवलोकन किया परिवादी के कहेनुसार रात्री का समय हो जाने तथा रात्रि में कार्यवाही किया जाना ठीक नहीं होने से प्रातः 8.00 ए.एम. पर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया गया, परिवादी की कार्यवाही के संबंध में मन् अनीष अहमद उप अधीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल अवगत कराया गया। दिनांक 30.09.2025 समय 06.10 ए.एम. पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो कोटा ने परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा द्वारा दिनांक 29.09.2025 को पेश शिकायती प्रार्थना पत्र, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का डिजिटल वॉयस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड, रनिंग नोट एवं अन्य दस्तावेज मन् अनिष अहमद, उप अधीक्षक पुलिस को सुपूर्द किये तथा अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये तत्पश्चात मन पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय जाप्ता रवाना होकर गैण्डोली पहुचा जहा पर परिवादी मुकेश कुमार मीणा व परिवादी का भाई मनोज उपस्थित मिले जिन्हे रिश्वत लेन देन के क्रम में डिजिटल वॉयस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड देकर आरोपी के पास थाना गैण्डोली रवाना किया जिन्होने कुछ समय बाद वापस आकर बताया कि हम रवाना होकर थाना गैण्डोली पहुचे जहा पर हमने आशिक हुसैन एएसआई के बारे में पूछा तो बताया कि वह तो आज इलाके मे ड्यूटी के लिए गये है शाम तक आयेगे। फोन किया तो फोन स्वीच ऑफ मिला हम रवाना होकर वापस आपके पास आ रहे थे तो आशिक हुसैन एएसआई हमे गैण्डोली कस्बे में मिले जिनसे मेरे भाई मनोज और मैने पूछा कि "तुम्हारा फोन केसे नही लग रहा, तो आशिक हुसैन ने कहा

मैं कही काम से गया था फिर मेरे भाई ने मन्दिर मे ंढोक देकर वापस थाने पर आने के कहा हैं, इसके कुछ समय बाद फिर से परिवादी एवं उसके भाई को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु करवाकर पुनः थाना गेण्डोली भेजा जंहा पर कई देर तक इन्तजार करने पर भी आशिक हुसैन थाना गेण्डोली पर नहीं आया तो परिवादी ने अन्य स्टाफ से पूछा तो उन्होने कहा कि आशिक हुसैन जी को तो एसपी साहब ने बून्दी बुला लिया हैं वो तुमको आज नहीं मिलेंगे कल आना। इस पर परिवादी वापस आया तथा आरोपी के आज ही वापस थाने आने की ंसभावना नहीं होने के कारण मन अनिष अहमद मय जाब्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय रिश्वती राशि, डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड एवं ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों के रवाना होकर कोटा आये तत्पश्चात दिनांक 15.10.2025 को श्री अभिषेक कानि. ने परिवादी से फोन पर बात कि तो परिवादी ने बताया कि आज तक मेरे पास आशिक हुसैन एएसआई का न तो कॉल आया हैं तथा नाही उसने किसी के जरिये कोई मैसेज करवाया हैं, मेरे पास जैसे ही कोई सूचना होगी मैं आपको तुरंत बता दूंगा। दिनांक 26.10.2025 को परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा ने श्री अभिषेक कानि. के मोबाइल पर फोन कर बताया कि मैने थाने पर हमारे मुकदमे के संबंध में तलाश की तो मुकदमें में अभी कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई तथा एएसआई का भी कोई कॉल नही आया। शायद उसको कार्यवाही की भनक लग गई। परिवादी द्वारा दिनांक 10.11.2025 को रिश्वत की राशि वापस लौटाने तथा अग्रिम कार्यवाही किये जाने का प्रार्थनापत्र पेश किया। जिस पर उसको प्रकरण में दिये जाने वाली रिश्वत राशि वापस लौटाई गई। उपरोक्त सम्पूर्ण ट्रेप कार्यबाही हालात व फर्दात् से आरोपी आशिक हुसैन, सहायक उप निरीक्षक का उपरोक्त कृत्य अपराध धारा 7 पी. सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधन 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय होने से आरोपी श्री आशिक हुसैन, सहायक उप निरीक्षक, थाना गैण्डोली जिला बूंदी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 पी. सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री आशिक हुसैन, सहायक उप निरीक्षक, थाना गैण्डोली जिला बूंदी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 पी. सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्ट्ंया प्रमाणित पाया जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।भवदीय,(अनिष अहमद)उप अधीक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटामहोदय,उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 28.09.25 को समय 5.30 पी.एम पर श्री विजय स्वर्णकार, अति. पुलिस अधीक्षक एसीबी कोटा के पास परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा निवासी करवाला की झोपडियां का कॉल आया तथा बताया कि " मेरे पिताजी बद्रीलाल जी ने मेरे चाचाजी जालिम कुमार से सन् 2017 में 2.50 लाख रूपये उधार लिये थे, जिनको मेरे पिताजी द्वारा 6-7 साल पहले ही चुका दिया था, ये पैसे जब मेरे चाचा जी ने मेरे पिताजी को उधार दिये उस समय एक खाली स्टाम्प पर मेरे पिताजी से हस्ताक्षर करवा लिये तथा स्टाम्प पर बाद मे 7 लाख रूपये लिख दिये। जिसके कारण सन् 2022 से 2024 तक मेरे चाचा जालिम कुमार उधार पैसो को चुकाने की एवज में हमारी 12 बीघा जमीन पर खेती करली, हमारे द्वारा जमीन हांकने की कहने पर मेरे चाचा द्वारा मेरे पिताजी व हम परिवार वालो के खिलाफ मारपीट एवं धोखाधडी का थाना गैण्डोली में मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिसमे हम परिवार के सात सदस्यो का नाम है। जिसकी जांच आशिक हुसैन एएसआई थाना गैण्डोली के पास है आशिक हुसैन एएसआई ने मुझे कल थाने पर बुलाया ओर मेरे से परिवार के व मेरा नाम निकालने के लिए तथा मेरे पिताजी को अकेले को मुल्जिम बनाने तथा मुकदमे में मदद करने के बदले में 20,000 हजार रू. मांगे तथा कहा कि 20,000 रू. कल ही लेकर आना तथा तेरे पिताजी को भी साथ लेकर आना जिससें उनसें पूछताछ कर लूंगा, मेरे चाचाजी जालिमकुमार हमसे पुलिस का दबाव डालकर जबरदस्ती हमारी जमीन लेना चाहता हैं जबकि उनसे लिये गये रू. मेरे पिताजी द्वारा दे दिये गये हैं। आशिक हुसैन स.उ.नि. झूंठे मुकदमें में फंसाने का भय दिखाकर मुझसें रिश्वत लेना चाहता है, मैं आशिक हुसैन एएसआई को रिश्वत राशि नही देना चाहता हु उसें रिश्वत देते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं, इस पर परिवादी को समझाईश की गई तथा उससे पूछा तो उसने बताया कि मै आपको कंचनधाम, गेण्डोली में मिल जाऊंगा, इस पर परिवादी को समझाईश की गई कि कल तुम्हारे पास हमारे कार्यालय से अभिषेक कानि. एवं श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. आयेगें जिनको तुम अपनी शिकायत दे देना तथा वो कार्यालय से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर तुम्हारे पास आयेंगे, जिसमें तुम रिश्वत मांग का सत्यापन करवा लेना, वो तुमसें मिलकर तुमको समस्त कार्यवाही से अवगत करा देंगे, जिस पर परिवादी सहमत हुआ। परिवादी के कॉल के क्रम में श्री अभिषेक कानि. एवं श्री नरेद्र सिंह है.कानि. को दिनांक 29.09.2025 को प्रातः 5.45 ए.एम. पर कार्यालय उपस्थित आने के निर्देश दिये। दिनांक 29.09.25 समय 6.00 ए.एम पर श्री विजय स्वर्णकार, अति. पुलिस अधीक्षक कार्यालय हाजा उपस्थित आये जंहा पर श्री अभिषेक कानि. एवं श्री नरेन्द्र ंिसह है.कानि. उपस्थित मिले, जिनको परिवादी मुकेश कुमार मीणा से हुई वार्ता के क्रम में अवगत कराया, तत्पश्चात कार्यालय के मालखाने सें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के निकलवाकर श्री अभिषेक कानि. को सुपुर्द किया, जिसकी फर्द सुपुर्दगी पृथक सें बनाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। श्री अभिषेक कानि. एवं श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. को हिदायत की गई कि परिवादी से उसकी शिकायत के क्रम में प्रार्थना पत्र प्राप्त करें तत्पश्चात उसे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर रिश्वत मांग का सत्यापन करवाये। श्री अभिषेक कानि. एंव श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. को मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के प्राईवेट वाहन सें कंचन धाम थाना गेण्डोली के लिए रवाना किया गया। समय 4.00 पी.एम पर श्री अभिषेक कानि. एवं श्री नरेन्द्र ंिसह है.कानि. मय परिवादी एवं परिवादी से हस्तलिखित प्रार्थना पत्र, डी.वी.आर. मय मेमोरी कार्ड के

उपस्थित आये तथा श्री विजय स्वर्णकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी कोटा को परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पेश कर परिवादी श्री मुकेश कुमार सें परिचय करवाया तथा बताया कि हम दोनों कार्यालय से रवाना होकर कंचनधाम गेण्डोली पहुंचे थे जंहा पर परिवादी मुकेश कुमार मीणा एवं उसका भाई मनोज कुमार मौजूद मिले थे, जिनसे परिवादी के हस्तलिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त किया तत्पश्चात डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में मेमेरी कार्ड लगाकर परिवादी को सुपुर्द कर उसको चलाने व बन्द करने तथा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया से अवगत कराया था, इसके बाद डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु करवाकर परिवादी को उसके भाई के साथ मोटरसाईकिल पर बैठाकर थाना गेण्डोली के लिए रवाना किया तथा मैं व नरेन्द्र ंिसह जी है.कानि. भी परिवादी के पीछे-पीछे थाना गेण्डोली की तरफ गये थे तथा थाना गेण्डोली से कुछ दूर ही अपनी उपस्थिती छुपाते हुये खडे हो गये थे, परिवादी करीबन 50 मिनट बाद मुझे कॉल करके हमारी गाडी के पीछे-पीछे वापस कचंनधाम आया तथा परिवादी ने बताया कि आशिक हुसैन जी एएसआई साहब ने मुझसें मेरे पिताजी व हमारे विरूद्ध दर्ज मुकदमें के संबंध में मेरे पिताजी का पूछताछ नोट बनाकर मुझे मेरे पिताजी के हस्ताक्षर करवाने के लिए दिया हैं तथा फिर मुझसें एक दिन पहले मांगे बीस हजार रू. के लिए पूछा कि जो मैने कही थी ना कल कहा वो लाया क्या जिस पर मैने उनको कहा कि- आपने कही थी ना शाम को मिल जाएगे, क्योकि आज सोमवार कल संडे था जो नहीं ले पाया मैं कोई नहीं, तब आशिक हुसैन जी ने कहा कि तू शाम-शाम ऐसे ही करता हैं, तब मैने कहा कि छोटा भाई मान के चलो शाम को ले आऊंगा तब आशिक हुसैन एएसआई ने कहा कि अब क्या लाया हैं तब मैने कहा कि अभी तो दो हजार ले लो आप, और बचेगें वो मैं शाम तक ले आऊंगा, जिस पर उन्होने कहा कि ठीक हैं तेरे पिताजी के साईन भी कराकर ले आना, इसके बाद मैने दो हजार रू. उनको निकालकर दे दिये थे। ये समस्त बातें इस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गई हैं, परिवादी के बताने के पश्चात हमने रिकॉर्डर चलाकर सुना तो परिवादी द्वारा बताये गये कथनों की ताईद हुई, तत्पश्चात परिवादी ने कहा कि आशिक हुसैन जी ने पैसे आज ही मांगे हैं इसलिए मै रिश्वत की राशि 20,000 रू. अपने साथ ही ले आया था, जिसमें सें 2000 रू. मैने अभी आशिक हुसैन जी को दे दिये तथा शेष मैने पूर्व सें ही मेरे भाई के पास रख दिये थे। परिवादी के पास रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 18,000 रू. रखे हैं तथा आरोपी ने रिश्वत राशि आज ही मांगी हैं, अतः परिवादी को उसके भाई सें 18,000 रू. दिलाकर हमराह लेकर कार्यालय हाजा के लिए रवाना होकर आये हैं।श्री विजय स्वर्णकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया जो इस आशय का हैं - "मैं ग्राम करवाला की झोपडिया थाना गैण्डोली जिला बूंदी का रहने वाला हु, मैरे पिताजी बद्रीलाल जी ने मेरे चाचाजी जालिम कुमार से सन् 2017 में 2.50 लाख रूपये उधार लिये थे, जिनको मेरे पिताजी द्वारा सन् 2019 में चुका दिया था। मेरे पिताजी को उधार पैसे देने पर मेरे चाचा जालिम कुमार ने एक खाली स्टाम्प पर मेरे पिताजी से हस्ताक्षर करवा लिये तथा स्टाम्प पर बाद मे 7 लाख रूपये लिख दिये। जिसके कारण सन् 2022 से 2024 तक मेरे चाचा जालिम कुमार उधार पैसो को चुकाने की एवज में हमारी 12 बीघा जमीन भी जुपाई थी, फिर भी मेरे चाचा द्वारा मेरे पिताजी व हम परिवार वालो के खिलाफ मारपीट एवं धोखाधडी का मुकदमा थाना गैण्डोली में दर्ज करवा दिया, जिसमे हम परिवार के सात सदस्यो का नाम है। जिसकी जांच आशिक हुसैन एएसआई थाना गैण्डोली के पास है आशिक हुसैन एएसआई ने मुझे कल थाने पर बुलाया ओर मेरे से परिवार के व मेरा नाम निकालने के लिए तथा मेरे पिताजी को अकेले को मुल्जिम बनाने तथा मुकदमे में मदद करने के बदले में 20,000 हजार रू. मांगे तथा कहा कि 20,000 रू. कल ही लेकर आना तथा तेरे पिताजी को भी साथ लेकर आना जिससें उनसें पूछताछ कर लूंगा, मेरे चाचाजी जालिमकुमार हमसे पुलिस का दबाव डालकर जबरदस्ती हमारी जमीन लेना चाहता हैं जबकि उनसे लिये गये रू. मेरे पिताजी द्वारा दे दिये गये हैं। झूंठे मुकदमें में फंसाने का भय दिखाकर आशिक हुसैन स.उ.नि. मुझसें रिश्वत लेना चाहता है, मैं आशिक हुसैन एएसआई को रिश्वत राशि नही देना चाहता हु उसें रिश्वत देते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हु, मेरा आशिक हुसैन एएसआई से कोई उधारी या लेन देन नही है ना ही कोई लडाई झगडा है। रिपोर्ट पर कार्यवाही करवाने की कृपा करे" तत्पश्चात रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो परिवादी द्वारा अभिषेक कानि. को कहे गये कथनों की ताईद हुई है, प्रकरण में आरोपी द्वारा आज ही रिश्वत राशि की मांग की गई हैं, अतः परिवादी के प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। समय 5.30 पी.एम पर परिवादी द्वारा बताये गये हालात अनुसार अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के आयोजन हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से कार्यालय के पत्रांक 1734 दिनांक 29.09.2025 से श्रीमान जिला कलेक्टर, कोटा के नाम एक तहरीर जारी कर श्री रवि कुमार कानि0 285 को स्वतंत्र गवाह लाने हेतु रवाना किया गया। समय 06.00 पी.एम. पर परिवादी श्री मुकेश कुमार ने श्री विजय स्वर्णकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि सांयकाल का समय हो चुका हैं तथा अभी अपन यंहा सें रवाना होंगे तो थाना गेण्डोली पर पहुंचने में 7-8 बज जायेगी, गेण्डोली थाना, कस्बे से बाहर मेन रोड पर सडक से ऊपर पहाडी व पेडो के बिच में स्थित हैं, रात्री में कार्यवाही किया जाना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए कार्यवाही कल प्रातः करें तो ठीक रहेगा, परिवादी के कहेनुसार रात्री का समय हो जाने तथा रात्रि में कार्यवाही किया जाना ठीक नहीं होने से प्रातः 8.00 ए.एम. पर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया गया, परिवादी की कार्यवाही के संबंध में मन् अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल श्री विजय स्वर्णकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा अवगत कराया गया। समय 06.30 पी.एम. पर श्री रवि कुमार कानि0 285 मय स्वतंत्र गवाहन श्री योगेन्द्र सैन पुत्र श्री हजारी लाल सैन जाति नाई उम्र 38 साल निवासी- जगदीश होटल की गली, गोयल भवन के सामने लाडपुरा कोटा हाल वरिष्ठ सहायक,

.विधि अनुभाग, कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट कोटा, मोबाईल नम्बर· व श्री जयप्रकाश मीणा पुत्र श्री शंकरलाल मीणा जाति मीणा उम्र 28 साल निवासी 1जी14, नूरी जामा मस्जिद के पीछे वाली गली, विज्ञान नगर, कोटा हाल वरिष्ठ सहायक,कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट कोटा मोबाईल नम्बर· के कार्यालय हाजा आये, दोनो स्वतंत्र गवाहान से परिचय प्राप्त कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा से आपसी परिचय करवाया तथा कार्यालय में तसल्लीपूर्वक बिठाया एवं परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को पढकर सुनाया तथा आरोपी आशिक हुसैन स.उ. नि. द्वारा की गई रिश्वत मांग के सत्यापन की कार्यवाही की जानकारी दी तथा ट्रेप कार्यवाही में गवाह बनने की सहमती चाही तो दोनों गवाहान ने परिवादी के प्रार्थना पत्र को पढकर स्वेच्छा से ट्रेप कार्यवाही में गवाह बनने की सहमती दी तथा परिवादी के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर किये तत्पशचात अग्रिम कार्यवाही मन् अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस द्वारा किये जाने तथा कार्यवाही हेतु दिनांक 30.09.2025 को दोनों गवाहान को प्रातः 6.00 ए.एम. पर कार्यालय हाजा मे ंउपस्थित आने तथा परिवादी को जरिये मोबाईल सम्पर्क कर गेण्डोली में ही मिलने हेतु रवाना किया गया। समय 06.00 ए.एम. पर पूर्व में तलविदाशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री योगेन्द्र सैन, वरिष्ठ सहायक, विधि अनुभाग, कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट कोटा व श्री जयप्रकाश मीणा, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट कोटा कार्यालय हाजा उपस्थित आये। समय 06.10 ए.एम. पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा द्वारा दिनांक 29.09.2025 को पेश शिकायती प्रार्थना पत्र, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का डिजिटल वॉयस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड, रनिंग नोट एवं अन्य दस्तावेज मन् अनिष अहमद, उप अधीक्षक पुलिस को सुपूर्द कर कार्यालय हाजा पर उपस्थित स्वतंत्र गवाहान श्री योगेन्द्र सैन, वरिष्ठ सहायक, विधि अनुभाग, कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट कोटा व श्री जयप्रकाश मीणा, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट कोटा से परिचय करवाया गया, जिस पर मन् अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस द्वारा गवाहान से परिचय प्राप्त कर कार्यवाही में सम्मिलित होने हेतु मौखिक सहमति प्राप्त की गई तथा परिवादी के प्रार्थना पत्र डिजिटल वॉयस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड में परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा व आरोपी आशिक हुसैन सउनि के मध्य दिनांक 29.09.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य अंश को सुना गया तो रिश्वत मांग की पुष्टि हुई। समय 07.00 ए.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री अब्दुल सत्तार कानि0 158 से मालखाने से फिनोल्फ्थिलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर प्राईवेट वाहन के डेश बोर्ड मे रखवाई गई। इसके बाद श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक को मय श्री योगेश गोचर कानि0 291, तथा श्री रवि कुमार कानि0 285, श्री अब्दुल सत्तार कानि0 158 मय सरकारी जीप चालक श्री महेन्द्र सिंह कानि 507 को गैण्डोली रवाना किया तथा मन पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतत्र गवाह श्री योगेन्द्र सैन व श्री जयप्रकाश मीणा मय जाप्ता श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि0 140, श्री अभिषेक चौधरी कानि0 197, श्री गोरव नागर कनिष्ठ सहायक मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य ट्रेप सामग्री मय डिजिटल वाईस रिकार्डर मय रिश्वत मांग सत्यापन के मैमोरी कार्ड एवं नये खाली मैमोरी कार्डो के प्राइवेट वाहन से गैण्डोली जिला बूंदी के लिए रवाना हुये। समय 09.00 ए.एम. पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री योगेन्द्र सैन व श्री जयप्रकाश मीणा मय जाप्ता श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक, श्री योगेश गोचर कानि0 291, श्री रवि कुमार कानि0 285, श्री अब्दुल सत्तार कानि0 158 मय श्री महेन्द्र सिंह कानि चालक 507, श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि0 140, श्री अभिषेक चौधरी कानि0 197, श्री गोरव नागर कनिष्ठ सहायक मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य ट्रेप सामग्री मय डिजिटल वाईस रिकार्डर मय रिश्वत मांग सत्यापन के मैमोरी कार्ड एवं नये खाली मैमोरी कार्डो के सरकारी वाहन जीप व प्राईवेट वाहन से परिवादी के बताये अनुसार गैण्डोली कस्बे से बाहर चांचोलिया बालाजी मन्दिर पर पहुंचे जहां पर पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा व उसका भाई मनोज कुमार मय मोटर साईकिल के उपस्थित मिले। उपस्थित परिवादी व उसके भाई से मन् उप अधीक्षक ने आपसी परिचय कर जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान से भी आपसी परिचय करवाया जाकर परिवादी से उसके द्वारा प्रार्थनापत्र में लिखित तथ्यो व रिश्वत मांग के संबध में रिकोर्डेड वार्ताओ के संबंध में पूछताछ कर पुष्टि की। समय 09.15 ए.एम. पर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा पुत्र श्री बद्रीलाल मीणा जाति मीणा उम्र 32 साल निवासी ग्राम करवाला की झोपडिया थाना गेण्डोली जिला बूंदी ने आरोपी श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक को रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 36 नोट कुल 18,000/- रूपये अपने पास से निकालकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये, जिनके नम्बर फर्द में अंकित कर श्री अब्दुल सत्तार कानि. नं. 158 से प्राईवेट वाहन के डेसबोर्ड से फिनोंफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटों को एक अखबार के ऊपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोफथलीन पावडर लगवाया गया। परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री जयप्रकाश मीना से लिवाई गई। परिवादी के पास उसके पहने हुए वस्त्रों एवं मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। आरोपी को रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये उक्त भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 36 नोट कुल 18,000 रूपये को परिवादी के पहनी हुई पेंट के सामने की दायी जेब मे श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 से सीधे ही रखवाये गये।इसके बाद एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में गाडी में रखी पीने के पानी की बोतल से साफ पानी लिया जाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया, जिसे गवाहान् एवं परिवादी को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग रंगहीन होना बताया। उक्त रंगहीन घोल में श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 के हाथ की अंगुलियों को डालकर धुलवाया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया को गवाहान् एवं परिवादी को

दृष्टांत देकर समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोंटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेंट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। डिस्पोजल गिलास के घोल को बाहर फिंकवाया गया। जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जानेवाली राशि/नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था एवं दृष्टांत में काम मे लिये गये डिस्पोजल गिलास को श्री अब्दुल सत्तार कानि 158 से जलवाया जाकर नष्ट करवाया गया। श्री अब्दुल सत्तार कानि 158 के हाथां एवं ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाली शीशियां को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त नोटो ंको रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुयें एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि निकालकर देवें। आरोपी से रिश्वत राशि व स्वयं के कार्य के संबंध मे स्पष्ट वार्ता करे तथा रिश्वत देने के बाद थाना गेण्डोली से बाहर आकर फोन करके ईशारा करे। दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी समझाया की रिश्वत के लेनदेन को यथासंभव निकट रहकर देखने व सुनने का प्रयास करें। परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा को डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के दिया जाकर चालू व बंद करने का तरीका पुनः समझाया जाकर हिदायत दी कि वक्त रिश्वत लेनदेन उसके एवं आरोपी के मध्य होने वाली वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करे। श्री अब्दुल सत्तार कानि 158 को मय फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशी के कार्यालय हाजा के लिए रूखसत किया गया। फर्द पेशकशी नियमानुसार मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितों ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 10.04 ए.एम. पर परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा को मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय नये मेमौरी कार्ड के रिकार्डर को चालु करवाकर उसके भाई मनोज मीणा के साथ मोटर साईकिल से थाना गेण्डोली के लिए रवाना किया गया। मन पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के अपने अपने वाहनों की उपस्थिती छुपाते हुए पीछे-पीछे रवाना होकर गेण्डोली थाने के आस-पास परिवादी के इशारे के इन्तजार में मुकिम हुये। समय 10.25 ए.एम. पर मन् उप अधीक्षक मय जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय वाहन के पृथक पृथक वाहन से परिवादी के पीछे पीछे पुलिस थाना गेण्डोली के पास से रवाना हो चाचोलिय बालाजी पहुचा जहा परिवादी उपस्थित मिला जिसने बताया कि मै थाने पर गया तो थाने पर एक कानिस्टेबल मिला जिससे आशिक हुसैन एएस आई के बारे मे ंपुछा तो उसने बताया कि आशिक हुसैन एएसआई अभी थाने पर नही है वो तो जांच में कही बाहर गये हुए है, फोन करके क्यो नही आये शाम को आना। तब मैने कहा कि उनका फोन बन्द आ रहा है वो आ जाये तो उनको बता देना। जिसकी सूचना मैने थाने से बाहर आकर श्री अभिषेक जी को फोन पर दी थी जब में वापस आ रहा था तो रास्ते मे कस्बा गेण्डोली में आशिक हुसैन एएसआई मुझे मिले थे जिनसे मैने पूछा आपका फोन कैसे नही लग रहा है तो उन्होने कहा कि ,कही काम से गया था यार, इस पर मैने उनसे कहा कि अभी मै ढोक दे आता हु आप वही (थाने) पर चल रहे हो ना इसपर उन्होने कहा हां। आप लोग मुझे आस पास दिखाई नही दिये इस लिए मैने उसको पैसे नही दिये। हमारे बीच होने वाली वार्ता वॉयस रिकोर्डर में रिकोर्ड हो गयी है। मंदिर पहुचकर मैने रिकेर्डर बन्द कर लिया था। एएसआई साहब थाने पर गये है, थोडी देर बाद वापस थाने पर जाउगां वो वहा से रिश्वत राशि ग्रहण कर सकते है। समय 10.35 ए.एम. पर परिवादी ने बताया कि आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक थाने पर पहुच गया होगा। वह वहां मुझसे रिश्वत राशि ग्रहण कर सकता है इस पर पुनः परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा को मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय नये मेमौरी कार्ड के रिकार्डर को चालु करवाकर उसके भाई मनोज मीणा के साथ मोटर साईकिल से थाना गेण्डोली के लिए रवाना किया गया। मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के अपने अपने वाहनों की उपस्थिती छुपाते हुए पीछे-पीछे रवाना होकर गेण्डोली थाने के आस-पास परिवादी के इशारे के इन्तजार में मुकिम हुये। समय 11.15 ए.एम. पर परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा मय उसके भाई मनोज मीणा के मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास आया परिवादी ने बताया कि मै पुलिस थाना गेण्डोली पहुंचा जहा पर आरोपी श्री आशिक हुसैन एएसआई उपस्थित नही मिला उसके आने का थाने मे रहकर इन्तजार किया करीब 20 मिनट तक इन्तजार करने के बाद एक कानिस्टेबल ने मुझे बताया कि थानेदार जी अभी अर्जेन्ट काम से एसपी ऑफिस बूंदी गये है। इन्तजार करने का कोई मतलब नही है, कल आ जाना इसपर मैने थानेदार जी को कई बार फोन लगाया फोन बन्द आ रहा है। वहा से बाहर आकर मैने सभी हालात श्री अभिषेक जी के फोन पर कॉल कर आप को बता दिये थे। इसके बाद मैं रिकोर्डर बन्द कर आपके पास आया हुं। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराह जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी के गैण्डोली से खटखड रोड पर स्थित कंचन धाम पहुचा। जहा परिवादी ने डिजिटल वॉयस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड बन्द अवस्था में पेश किया और बताया कि शायद आरोपी को मुझ पर शक हो गया है। वह मुझसे आज रिश्वत राशि ग्रहण नही करेंगा। आज ट्रेप की कार्यवाही की सम्भावना नही होने के कारण स्वतंत्र गवाह श्री जयप्रकाश मीणा से परिवादी की पेन्ट में रखी रिश्वत राशि को निकलवाकर एक पीले लिफाफे में रखवाया। लिफाफे को स्वतंत्र गवाह के पास सुरक्षित रखवाया गया। समय 12.10 पी.एम. पर परिवादी को गोपनीयता की मुनासिब हिदायद कर मौके से रूखसत किया गया तथा श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक को मय श्री योगेश गोचर कानि0 291, तथा श्री रवि कुमार कानि0 285 सरकारी जीप चालक श्री महेन्द्र सिंह कानि 507 को एसीबी चौकी कोटा रवाना कर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतत्र गवाह श्री योगेन्द्र सैन व श्री जयप्रकाश मीणा मय जाप्ता श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि0 140, श्री अभिषेक चौधरी कानि0 197, श्री गोरव नागर कनिष्ठ सहायक मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य ट्रेप सामग्री मय डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मय रिश्वत राशि 18000 रूपये का लिफाफा के प्राइवेट वाहन से गैण्डोली जिला बूंदी से एसीबी चौकी कोटा रवाना हुए। समय 03.00 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक मय

.हमराहीयान मय साथ लाये वाहनो के कार्यालय हाजा उपस्थित आया। स्वतंत्र गवाह श्री जयप्रकाश मीना से रिश्वत राशि का पीला लिफाफा मालखाना प्रभारी श्री आशिक हुसैन सउनि को सुपूर्द कर सुरक्षित मालखाने मे रखवाया गया। डिजिटल वॉयस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड व अन्य सामग्री कार्यालय में सुरक्षित रखवाये गये। आईन्दा परिवादी द्वारा सूचना देने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। दोनो स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता की हिदायद देकर कार्यालय से सकुशल रूखसत किया गया। दिनांक 15.10.2025 को समय 03.38 पी.एम. पर श्री अभिषेक कानि. ने परिवादी से वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि दिनांक 30.09.2025 के बाद से आज तक मेरे पास आशिक हुसैन एएसआई का न तो कॉल आया हैं तथा नाही उसने किसी के जरिये कोई मैसेज करवाया हैं, मेरे पास जैसे ही उसके संबंध में कोई सूचना होगी मैं आपको तुरंत बता दूंगा। दिनांक 26.10.2025 को समय 04.18 पी.एम. पर परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा ने श्री अभिषेक कानि. के मोबाइल पर कॉल करके बताया कि मैने थाने पर हमारे मुकदमे के संबंध में तलाश करवाया था लेकिन हमारे मुकदमें में अभी कुछ भी कार्यवाही नहीं होने बाबत बताया तथा आशिक हुसैन स.उ.नि. का भी न तो कॉल आया हैं तथा नाही उसने किसी के जरिये कोई मैसेज करवाया हैं। शायद उसको कार्यवाही की भनक लग गई, मुझे खेती बाडी के कार्य सें टाईम मिलने पर मैं आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाऊंगा। दिनांक 10.11.2025 को समय 11.30 ए.एम. पर परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा उपस्थित कार्यालय आया तथा एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि " मैं ग्राम करवाला की झोपडिया थाना गैण्डोली जिला बूंदी का निवासी हूं थाना गैण्डोली मे मैरे व मेरे परिवार के खिलाफ चल रहे प्रकरण में नाम निकालने की एवंज में श्री आशिक हुसैन एएसआई द्वारा 20,000 रूपये की रिश्वत की मांग करने पर मैने आपके कार्यालय मे कार्यवाही हेतु दिनांक 28.09.2025 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसपर कार्यवाही करते हुए दिनांक 29.09.2025 को आपके कार्यालय से श्री अभिषेक कानिस्टेबल को रिकोर्डर और मैमोरी कार्ड देकर गैण्डोली भेजा था उस दिन मेरी आशिक हुसैन एएसआई थाना गैण्डोली से रिश्वत मांग के संबंध में बात हुई थी जो रिकोर्ड हो गई थी। दिनांक 30.09.2025 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर ट्रेप अधिकारी श्री अनिष अहमद जी, जाप्ता व गवाह को लेकर गैण्डोली गये थे। लेकिन उस दिन आरोपी को शक हो जाने के कारण आरोपी ने मेरे से रिश्वत राशि नही ली। आरोपी द्वारा इसके बाद से अबतक मेरे से रिश्वत लेने के संबंध में बात नही की है। ऐसा लगता है कि अब कार्यवाही होने की कोई संभावना नही है। अतः मेरे द्वारा अब तक करवाई गई कार्यवाही के आधार पर ही आरोपी के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही कर मेरे द्वारा दिनांक 30.09.2025 को पेश की 18000 रूपये रिश्वत राशि मुझे लौटाने की कृपा करें। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु पूर्व से पाबन्दशुदा गवाहान को जर्ये मोबाईल तलब किया गया। समय 12.30 पी.एम पर तलविदा स्वतंत्र गवाहान श्री योगेन्द्र सैन, वरिष्ठ सहायक, विधि अनुभाग, कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट कोटा व श्री जयप्रकाश मीणा, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट कोटा कार्यालय हाजा उपस्थित आये। समय 12.45 पी.एम पर परिवादी व दोनों गवाहान के समक्ष दिनांक 29.09.2025 को परिवादी एवं आरोपी आशिक हुसैन एएसआई के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, जिसे कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था, उक्त मैमोरी कार्ड को कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगाकर श्री अभिषेक कानि. 197 के द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को सरकारी लेपटोप से कनेक्ट कर स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार करवाई गई। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल फाईल किया गया। समय 03.30 पी.एम पर परिवादी व दोनों गवाहान के समक्ष दिनांक 30.09.2025 को परिवादी एवं आरोपी आशिक हुसैन एएसआई के मध्य हुई रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता, जिसे कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था, उक्त मैमोरी कार्ड को कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगाकर श्री अभिषेक कानि. 197 के द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को सरकारी लेपटोप से कनेक्ट कर स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार करवाई गई। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल फाईल किया गया। समय 04.00 पी.एम.पर दिनांक 29.09.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता 250929_1049 जो 68348 KB 250929_1214 जो 7 KB व दिनांक 30.09.2025 को हुई रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता 250930_1004 जो 24707 KB 250930_1036 जो 48549 KB जो कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में सेव थी को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष कार्यालय के सरकारी लेपटॉप मे सेव करवाकर कार्यालय के लेपटॉप से 04 पेन ड्राईव ¼Sandisk Cruzer Blade TM 32 GB½ में श्री अभिषेक कानि0 197 से सेव करवाई गयी। जिसकी फर्द प्रतिलिपिकरण पेन ड्राईव श्री अभिषेक कानि0 197 से तैयार करवाकर एक पेन ड्राईव वजह सबूत माननीय न्यायालय के लिये, एक पेन ड्राईव आवाज नमूना के लिए तथा एक पैन ड्राईव आरोपी के लिए कपडे की थैलीयों मे पृथक पृथक रखकर सील मोहर करके संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिए खुला रखा गया। जर्ये लेपटॉप मूल मेमोरी कार्ड की हैश वैल्य की गणना Hash checker App से SHA256 हैशवेल्यू निकाली गई। ट्रेप कार्यवाही में कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकोर्डर में उपयोग किये गये ¼SanDisk microSDHC card 32 GB½ मेमोरी कार्ड को डीवीआर में से निकालकर वजह सबूत माननीय न्यायालय के लिये एक कपडें की थैली में रखकर सील मोहर करके संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिये गये। कार्यवाही की

फर्द प्रतिलिपिकरण पेनड्राईव एवं जप्ती मूल मेमोरी कार्ड तैयार कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 05.45 पीएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री योगेन्द्र सैन व श्री जयप्रकाश मीणा के समक्ष रिश्वत राशि 18000 रूपये मालखाने से निकलवाकर नोटों पर लगे फिनॉफ्थलीन पावडर को अच्छी तरह साफ करवाकर परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा को सुपुर्द की गई। फर्द सुपुर्दगी मुर्तिव की जाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 06.00 पीएम पर परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा को मय रिश्वत राशि 18,000 रूपये के तथा स्वतन्त्र गवाहान श्री योगेन्द्र सैन व श्री जयप्रकाश मीणा को आवश्यक हिदायत देकर उनके गन्तव्य पर सकुशल रूखसत किया गया। बाद सम्पूर्ण कार्यवाही जप्तशुदा आर्टिकल्स तीन शिल्डशुदा पेनड्राइव के पैकेट एवं दो शिल्डशुदा मैमोरी कार्ड पैकेट को मालखाना प्रभारी श्री आशिक हुसैन सउनि को सुपूर्द कर जमा मालखाना करवाया गया।अब तक के हालात में पाया गया कि दिनांक 28.09.25 को अति. पुलिस अधीक्षक के पास परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा निवासी करवाला की झोपडियां का कॉल आया तथा बताया कि " मेरे पिताजी बद्रीलाल जी ने मेरे चाचाजी जालिम कुमार से सन् 2017 में 2.50 लाख रूपये उधार लिये थे, जिनको मेरे पिताजी द्वारा 6-7 साल पहले ही चुका दिया था, ये पैसे जब मेरे चाचा जी ने मेरे पिताजी को उधार दिये उस समय एक खाली स्टाम्प पर मेरे पिताजी से हस्ताक्षर करवा लिये तथा स्टाम्प पर बाद मे 7 लाख रूपये लिख दिये। जिसके कारण सन् 2022 से 2024 तक मेरे चाचा जालिम कुमार उधार पैसो को चुकाने की एवज में हमारी 12 बीघा जमीन पर खेती करली, हमारे द्वारा जमीन हांकने की कहने पर मेरे चाचा द्वारा मेरे पिताजी व हम परिवार वालो के खिलाफ मारपीट एवं धोखाधडी का थाना गैण्डोली में मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिसमे हम परिवार के सात सदस्यो का नाम है। जिसकी जांच आशिक हुसैन एएसआई थाना गैण्डोली के पास है आशिक हुसैन एएसआई ने मुझे कल थाने पर बुलाया ओर मेरे से परिवार के व मेरा नाम निकालने के लिए तथा मेरे पिताजी को अकेले को मुल्जिम बनाने तथा मुकदमे में मदद करने के बदले में 20,000 हजार रू. मांगे तथा कहा कि 20,000 रू. कल ही लेकर आना तथा तेरे पिताजी को भी साथ लेकर आना जिससें उनसें पूछताछ कर लूंगा, मेरे चाचाजी जालिमकुमार हमसे पुलिस का दबाव डालकर जबरदस्ती हमारी जमीन लेना चाहता हैं जबकि उनसे लिये गये रू. मेरे पिताजी द्वारा दे दिये गये हैं। आशिक हुसैन स.उ.नि.झूंठे मुकदमें में फंसाने का भय दिखाकर मुझसें रिश्वत लेना चाहता है, मैं आशिक हुसैन एएसआई को रिश्वत राशि नही देना चाहता हु, उसे रिश्वत देते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं, इस पर परिवादी के कॉल के क्रम में श्री अभिषेक कानि. एवं श्री नरेद्र सिंह है.कानि. को दिनांक 29.09.2025 को मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के प्राईवेट वाहन सें कंचन धाम थाना गेण्डोली के लिए रवाना किया, जिन्होने मय परिवादी मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मय परिवादी के प्रार्थना पत्र के वापस आकर बताया कि हम यंहा से रवाना होकर कंचनधाम गेण्डोली पहुंचे थे, जंहा परिवादी व परिवादी का भाई मनोज उपस्थित मिला, परिवादी से हस्तलिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त किया और सत्यापन करवाया गया। रिश्वत मांग सत्यापन में आरोपी आशिक हुसैन एएसआई थाना गैण्डोली ने परिवादी के पिताजी व खुद के विरूद्ध दर्ज मुकदमें से नाम हटाने के लिए परिवादी से आरोपी द्वारा एक दिन पहले मांगे बीस हजार रू. के लिए पूछा कि जो मैने कही थी वो लाया क्या जिस पर परिवादी ने शाम तक लाकर देने के लिए कहा तथा आरोपी द्वारा अभी क्या लाया पुछा तो परिवादी ने कहा अभी तो दो हजार ले लो आप, और बचेगें वो मैं शाम तक ले आऊंगा, जिस पर आरोपी ने कहा कि ठीक हैं तेरे पिताजी के साईन भी कराकर ले आना, इसके बाद परिवादी ने आरोपी को दो हजार रू. निकालकर दे दिये थे। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग करना पाया गया। वार्ता के अंश निम्नानुसार है-आरोपी म्हारी बात सुण तू। वो जो मन की छी न मेरी बात सुन तू। वो जो मैने कही थी ना।परिवादी थाने की छी न शाम की मिल जावगा, क्योकि आज सोमवार काल संडे छो न ले पायो मु कोई न आपने कही थी ना शाम को मिल जाएगे, क्योकि आज सोमवार कल संडे था जो नहीं ले पाया मैं कोई नहींआरोपी तु शाम शाम कोई न तु शाम शाम कोई नहीं।परिवादी छोटो भाई मान चालो,शाम को छोटा भाई मान के चलो, शाम कोआरोपी अबानु काई लायो अभी क्या लाया है।परिवादी अबानु तो दो हजार रूपया ले लो था, और बचगा न,झुठ न अभी तो दो हजार ले लो आप, और बचेंगे ना, झूठ नहीं।आरोपी एसया भी मू थाने बचारयो छुः ऐसे भी मैं तुम्हे बचा रहा हूँ।परिवादी भगवान का जी भाई झुठ न बोल रयो, पन्द्रह हजार रूपया भगवान की कसम झूठ नहीं बोल रहा, पन्द्रह हजार रूपया। आरोपी मु सुन तु चुप रह, हकिकत बात तो या छः मु थाने बचाबा की कर रयो छुः, मु थाने और बताद्यु वकील खा जावगो, पुलिस आपणे मु जवानी तो थाने काई गलती न करी काई भी मगर लिखा पढी प सब का साईन छः,गवाह छः मेरी बात सुन तु चुपचाप रह, हकिकत बात तो यह है मैं तुम्हे बचाने की कर रहा हूँ। मैं तुम्हे और बता तु वकील खा जाएगा, पुलिस अपनी मुँह जुबानी तो तुमने कोई गलती नहीं करी, लेकिन लिखा पढ़ी पर सबके साईन है।परिवादी मु हेलमेट लायो छोः,जा र थाई दे जाउगु मैं हेलमेट लाया था, जो आपको दे आऊंगा।आरोपी हु हंपरिवादी हेलमेट लेरा ही लायो छोः, कोटा जा, पाछो आताई थाई देर जाउगु, अतरो सो विश्वास छोटो भाई छु थाको हेलमेट साथ में ही लाया था, कोटा जाकर, दुबारा आते ही आपको देकर जाऊंगा। इतना सा विश्वास, छोटा भाई हूँ आपका।आरोपी पर फेर थारा पिताजी के बारे में भी आपा सोचगा, दो दन बाद म सू मिल जो, ठीक छः न पर फिर आपके पिताजी के बारे में भी अपन सोचेंगे, दो दिन बाद मुझसे मिलना, ठीक है नापरिवादी हा हाँपरिवादी द्वारा हस्तलिखित प्राप्त प्रार्थना पत्र का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो कोटा द्वारा अवलोकन किया परिवादी के कहेनुसार रात्री का समय हो जाने तथा रात्रि में कार्यवाही किया जाना ठीक नहीं होने से प्रातः

8.00 ए.एम. पर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया गया, परिवादी की कार्यवाही के संबंध में मन् अनीष अहमद उप अधीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल अवगत कराया गया। दिनांक 30.09.2025 समय 06.10 ए.एम. पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो कोटा ने परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा द्वारा दिनांक 29.09.2025 को पेश शिकायती प्रार्थना पत्र, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का डिजिटल वॉयस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड, रनिंग नोट एवं अन्य दस्तावेज मन् अनिष अहमद, उप अधीक्षक पुलिस को सुपूर्द किये तथा अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये तत्पश्चात मन पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय जाप्ता रवाना होकर गैण्डोली पहुचा जहा पर परिवादी मुकेश कुमार मीणा व परिवादी का भाई मनोज उपस्थित मिले जिन्हे रिश्वत लेन देन के क्रम में डिजिटल वॉयस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड देकर आरोपी के पास थाना गैण्डोली रवाना किया जिन्होने कुछ समय बाद वापस आकर बताया कि हम रवाना होकर थाना गैण्डोली पहुचे जहा पर हमने आशिक हुसैन एएसआई के बारे में पूछा तो बताया कि वह तो आज इलाके मे ड्यूटी के लिए गये है शाम तक आयेगे। फोन किया तो फोन स्वीच ऑफ मिला हम रवाना होकर वापस आपके पास आ रहे थे तो आशिक हुसैन एएसआई हमे गैण्डोली कस्बे में मिले जिनसे मेरे भाई मनोज और मैने पूछा कि "तुम्हारा फोन केसे नही लग रहा, तो आशिक हुसैन ने कहा मैं कही काम से गया था फिर मेरे भाई ने मन्दिर मे ंढोक देकर वापस थाने पर आने के कहा हैं, इसके कुछ समय बाद फिर से परिवादी एवं उसके भाई को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु करवाकर पुनः थाना गेण्डोली भेजा जंहा पर कई देर तक इन्तजार करने पर भी आशिक हुसैन थाना गेण्डोली पर नहीं आया तो परिवादी ने अन्य स्टाफ से पूछा तो उन्होने कहा कि आशिक हुसैन जी को तो एसपी साहब ने बून्दी बुला लिया हैं वो तुमको आज नहीं मिलेंगे कल आना। इस पर परिवादी वापस आया तथा आरोपी के आज ही वापस थाने आने की ंसभावना नहीं होने के कारण मन अनिष अहमद मय जाब्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय रिश्वती राशि, डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड एवं ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों के रवाना होकर कोटा आये तत्पश्चात दिनांक 15.10.2025 को श्री अभिषेक कानि. ने परिवादी से फोन पर बात कि तो परिवादी ने बताया कि आज तक मेरे पास आशिक हुसैन एएसआई का न तो कॉल आया हैं तथा नाही उसने किसी के जरिये कोई मैसेज करवाया हैं, मेरे पास जैसे ही कोई सूचना होगी मैं आपको तुरंत बता दूंगा। दिनांक 26.10.2025 को परिवादी श्री मुकेश कुमार मीणा ने श्री अभिषेक कानि. के मोबाइल पर फोन कर बताया कि मैने थाने पर हमारे मुकदमे के संबंध में तलाश की तो मुकदमें में अभी कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई तथा एएसआई का भी कोई कॉल नही आया। शायद उसको कार्यवाही की भनक लग गई। परिवादी द्वारा दिनांक 10.11.2025 को रिश्वत की राशि वापस लौटाने तथा अग्रिम कार्यवाही किये जाने का प्रार्थनापत्र पेश किया। जिस पर उसको प्रकरण में दिये जाने वाली रिश्वत राशि वापस लौटाई गई। उपरोक्त सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही हालात व फर्दात् से आरोपी आशिक हुसैन, सहायक उप निरीक्षक का उपरोक्त कृत्य अपराध धारा 7 पी. सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधन 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय होने से आरोपी श्री आशिक हुसैन, सहायक उप निरीक्षक, थाना गैण्डोली जिला बूंदी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 पी. सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री आशिक हुसैन, सहायक उप निरीक्षक, थाना गैण्डोली जिला बूंदी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 पी. सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्ट््या प्रमाणित पाया जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।भवदीय,(अनिष अहमद)उप अधीक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा.............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनिष अहमद, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री आशिक हुसैन पुत्र श्री मोहम्मद नूर जाति मुसलमान उम्र-53 साल सहायक उप निरीक्षक थाना गैण्डोली जिला बूंदी के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री ज्ञानचंद, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बूंदी को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 23 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 08-11 दिनांक 02.01.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा 2- पुलिस अधीक्षक, बूंदी 3- उप महानिरीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** PREM CHAND MEENA **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 0[illegible]/2026 [illegible]9

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1973				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)